भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

आकस्मिक छुट्टी

पर

मास्टर परिपत्र

Master Circular

ON

Casual Leave

15

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD).

M.C. NO.15/90.
RBE NO.17/91

No.E(G)90 LE1-2.(Master Circular). New Delhi,dated:24.1.91.

The General Manager,
All Indian Railways,
Production Units & others.

Sub:-Casual Leave.

The instructions issued by the Railway Board from time to time on the subject of Casual Leave are contained in several letters. It has now been decided by the Railway Board, to issue a consolidated Master Circular, as below, incorporating all the instructions issued so far on the subject, for the information and guidance of all concerned.

2. Casual Leave is a leave admissible to Railway servants in all groups (i.e. A, B, C & D) and is granted to enable them to attend to sudden/unforeseen needs/requirements. It is not recognized as leave or subject to any rule under the leave rules applicable to the Railway servants. Therefore, a Railway servant on casual leave is technically not treated as absent from duty and his pay is not intermitted.

(Ref: Rule 507-R.I. (1985 Edition) and App.XXXI (IV) (2) of R.I. (1974 Edition).

2.1. Casual Leave should not, however, be granted to Railway servants so as to cause evasion of the rules regarding:

(a) date of reckoning of pay and allowances;

(b) Change of office;

(c) Commencement and end of leave; and

(d) return to duty; or

so as to extend the term of leave beyond the time admissible by rule.

(Ref: Rule 236 - Establishment Code Vol.I/1985).

3. The total Casual Leave admissible to Railway servants

......2.-

in a calender year will be as under:-

I	(i)	13 days	–	To all Railway servants who are eligible to avail of all Public holidays or workshop paid-holidays;
	(ii)	12 days	–	(a) Workshop staff; (b) Railway servants in workshops not covered by the term workshop staff and Railway servants in Printing Presses and Stores Depots, who are getting 15 paid-holidays in a year;
	(iii)	12 days	–	Divisional Medical Officers and Assistant Medical Officers.
	(iv)	12 days	–	Apprentice Mechanics, Apprentice Khalasis, under training in workshops and other Apprentices not governed by the Apprentices Act, 1961 attached to workshops and printing Presses, who are getting 15 paid holidays in a year;
	(v)	12 days	–	Trade Apprentices governed by the Apprentices Act, 1961 working in Establishments where proper leave rules do not exist or the total leave of different types admissible to the workers is less than 37 days in a year.

(Ref: Rule 9(1)(a) of

......3/-

			Apprenticeship Rules,1962).
II	15 days	-	To all Railway servants who, because of the nature of their duties are not allowed to avail themselves of public holidays at all or are allowed to avail themselves only of a few public holidays;
III	15 days	-	Artisan staff other than workshop staff, provided they are not covered by a collective option to convert casual leave into paid holidays;
IV	15 days	-	Casual Labourers who have attained temporary status and who are being allowed to avail of 3 National holidays like regular line staff;
V	17 days (12 days normal 5 days extra)	-	Railway servants on the Northeast Frontier Railway described in para 2(ii) of Board's letter No.E(G)83AL12/8 dated 23.7.1984.

(Ref: Board's letters No.

E(G)58 AL1/1 dated 15.2.58, PC/60/LE7/1 dated 23.4.60, E(G)67/LE1/7 dated 22.11.67,*E(G)70/ LE1/5 dated 27.4.72, E(G)70 LE1/5Pt. dated 22.6.73, E(G)83 AL12/8 dated 23.7.84, *E(G)70 LE1/5 dt.18.2.72).

4. Public holidays, closed Saturdays, Sundays and weekly offs falling within a spell of casual leave will not count as casual leave and may be prefixed and/or suffixed to casual leave. A restricted holidays when it is availed of by a Railway servant, should be treated as a Public holiday for this purpose.

(Ref: Board's letter No.PC-60/LE7/1 dated 24.8.60).

5. There is no limit on the total period of absence at a time on casual leave inclusive of public holidays, closed Saturdays, Sundays and weekly offs falling within the spell of Casual leave or which may be prefixed/suffixed thereto.

(Ref: Board's letter No.E(G)67 LE1/5 dated 5.8.67).

6. Casual leave for half-a-day either for the pre lunch

session or for the post lunch session may be granted depending upon the applicant's needs.

6.1. A Railway servant, who takes casual leave, while on tour, is not entitled to draw daily allowance for the period of leave. If the casual leave is for half-a-day, while on tour, the Railway servant may draw only half of the normal daily allowance of that day.

(Ref: Rule 1617 (2) Establishment Code Vol. II/1987).

6.2. Half-a-day's casual leave should be debited to the casual leave account of the Railway servant concerned for each late attendance. The practice of allowing Railway servants to attend office late or leave early with permission has ceased with the introduction of the facility of grant of casual leave for half-a-day. Late attendance upto an hour, on not more than two occasions in a month, however, can be condoned by the competent authority, if it is satisfied that the late attendance is due to unaviodable reasons, such as illness in the family, cycle puncture, late running of buses /trains etc.

(Ref: Board's letter No.E(G)65 LE2/29 dated 6.11.65).

6.3. Cases of Railway servants leaving office early before the time for closing of office, without permission, should also be treated like late attendance and half-a-day's casual leave should be debited to the casual leave account of the Railway servant(s) concerned for each such early departure.

(Ref: Board's letter No.E(G)75 LE1/17 dated 17.10.75).

6.4. Casual leave for half-a-day may be granted in conjunction with casual leave for a full day or full days.

(Ref: Board's letter No.E(G)65 LE2/29 dated 6.11.65).

6.5. Facility of grant of half-a-day's casual leave is admissible to all employees including the Teachers in the Railway Schools and Colleges.

(Ref: Board's letter No.E(G)87 LE1/34 dated 17.11.87).

7. Workshop staff may be granted casual leave for half-a-day or for the full day on Saturdays, depending upon the periods of working i.e. if there are two periods of working on Saturdays and the absence is during either of the two

....5/-

periods, casual leave may be granted for half-a-day and if there is only one period of working on a Saturday, the leave should be for a full day.

(Ref: Board's letter No.E(G)72 LE2/41 dated 10.4.73).

8. Casual Leave cannot be combined with any other leave, except with (i) compensatory casual leave granted to Groups 'C' & 'D' employees other than supervisory staff, for attending on Sundays and holidays; (ii) special casual leave sanctioned for participation in sporting events/events of National importance and for scouting duties, subject to the stipulation laid down in Board's letter No.E(W)80 WE6/2 dated 5.1.83; and (iii) special casual leave sanctioned for sterilisation, recanalisation operations under the Family Welfare Programme. There is also no objection to casual leave being followed by quarantive leave.

(Ref: Board's letters No.E(W)80 WE6/2 dated 5.1.83, E(W)60 SP1/26 dated 30.1.61, E/78/H(FW)9/5 dated 11.6.81 and Rule 507-Establishment Code Vol. I/1985).

8.1. Casual leave cannot also be combined with joining time.

(Ref: Board's letter No.E(G)79 JT1/1 dated 21.2.80).

8.2. Casual leave cannot be combined with vacation allowed for school staff.

(Ref: Board's letter No.E55 LE2/74/3 dated 27.7.55).

8.3. A Railway servant, who has taken casual leave for half-a-day on the afternoon of a working day and is unable to resume duty on the next working day due to unexpected sickness or compelling grounds and he has no casual leave at his credit, may, as an exception to the general rule, be permitted to combine half-a-day's casual leave with regular leave. In no other situation can this facility be allowed.

(Ref: Board's letter No.E(G)65 LE2/29 dated 25.6.66).

9. If a Railway servant having no casual leave at his credit comes late without sufficient justification and the competent authority is not prepared to condone the late attendance and does not also at the same time propose to take action under the R.S. (D&A) Rules, the Railway servant should be informed that he would be treated as on unauthorised absence

for the day on which he had come late. It should be left to the Railway servant either to face the consequences of such unauthorised absence or to apply for regular leave as may be due to him. These instructions are, however, not applicable to Railway employees governed by the provisions of P.W. Act, 1936 and I.D. Act.

(Ref: Board's letter No.E(G)82 LE1/10 dated 20.9.82 and 14.3.83)

10. A candidate who joins Railway service in the middle of the year is entitled to the full quantum of casual leave. While there is no restriction to the grant of the full quantum of casual leave to those joining service in the second half of the year, the authority sanctioning the casual leave should take into account all the circumstances before granting such leave. For example, it would be administratively inappropriate to sanction 12 days/15 days/ 17 days of casual leave to an employee, who has joined in the middle of December i.e. on 16th December.

(Ref: Board's letter No.E(G)56 LE2/91/3 dated 5.10.56).

11. Casual leave not availed of within the calendar year will lapse at the end of the year i.e. on 31st December.

12. General Manager may delegate powers to the senior Subordinates/Supervisors in independent charge of units, to sanction casual leave to the Group 'C' and Group 'D' employees working under them.

13. (i) While referring to this master circular, the original letters mentioned herein should be read for a proper appreciation. The master circular is only a consolidation of the existing instructions and should not be treated as a substitution to the original circulars. In case of doubt, the original letters should be relied upon as authority;

(ii) The instructions contained in the original letters referred to have only prospective effect from the date of issue unless indicated otherwise;

(iii) If any circular on the subject which has not been superseded has been lost sight of in the preparation of the master circular, the said circular, which has been missed through oversight should not be ignored but should

be treated as valid and operative.

14. Copies of letters on the basis of which the consolidated master circular has been prepared are enclosed.

(JAGDISH CHAND)
DESK OFFICER, ESTABLISHMENT(G).
RAILWAY BOARD.

Encl. Annexure indicating the reference No. and date of original circulars enclosed.

ANNEXURE

1.	Letter No.E(G)58 AL1/1	Dated 15.2.58.
2.	Letter No.PC/60/LE7/1	Dated 23.4.60.
3.	Letter No.PC/60/LE7/1	Dated 24.8.60.
4.	Letter No.E(G)65LE2/29	Dated 6.11.65.
5.	Letter No.E(G)65LE2/29	Dated 25.6.66.
6.	Letter No.E(G)67LE1-5	Dated 5.8.67.
7.	Letter No.E(G)70LE1/5	Dated 18.2.72.
8.	Letter No.E(G)70LE1/5	Dated 22.4.72.
9.	Letter No.E(G)72LE2/41	Dated 10.4.73.
10.	Letter No.E(G)70LE1/5Pt.	Dated 22.6.73.
11.	Letter No.E(G)82LE1/10	Dated 20.9.82.
12.	Letter No.E(G)83AL12/8	Dated 6.2.84.
13.	Letter No.E(G)83 AL12/8	Dated 20.2.84.
14.	Letter No.E(G)83 AL12/8	Dated 23.7.84.
15.	Letter No.E(W)80WE6/2	Dated 5.1.83.
16.	Letter No.E(G)56LE2-91/3.	Dated 5.10.56.
17.	Letter No.E(G)75LE1/1	Dated 17.10.75.
18.	Letter No.E(G)87 LE1/3	Dated 17.11.87.
19.	Letter No. E(55)LE2/74/3	Dated 27.7.55.
20.	Letter No. E(G)67 LE1/7	Dated 22.11.67.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) M.C. NO.15/90.
RBE NO. 17/91.

नई दिल्ली, दि0 24.1.1991

सं. ई(जी)90एल ई 1-2

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें,
उत्पादन इकाइयां एवं अन्य.

विषयः- आकस्मिक छुट्टी.

आकस्मिक छुट्टी के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश बहुत से पत्रों में अंतर्विष्ट हैं । अब रेलवे बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि इस विषय पर अब तक जारी किए सभी अनुदेशों को शामिल करते हुए सभी संबंधितों के सूचनार्थ और मार्गदर्शन के लिए निम्नानुसार एक समेकित मास्टर परिपत्र जारी किया जाए ।

2. आकस्मिक छुट्टी वह छुट्टी होती है जो सभी ग्रुपों (अर्थात् ए, बी, सी एवं डी) के रेल कर्मचारियों को स्वीकार्य होती है और उनकी अचानक/अप्रत्याशित आवश्यकताओं/जरूरतों को पूरा करने के लिए वह स्वीकृत की जाती है । इसे छुट्टी के रूप में नहीं माना जाता है अथवा रेल कर्मचारियों पर लागू होने वाले छुट्टी नियमों के अंतर्गत यह किसी नियम के अध्यधीन नहीं है । इसलिए आकस्मिक छुट्टी पर रहने वाले रेल कर्मचारी को तकनीकी दृष्टि से ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता है और उसका वेतन रोका नहीं जाता है ।
(संदर्भ : नियम 507-आर-1 (1985 संस्करण) और आर-1 (1974 संस्करण) का परिशिष्ट XXXI (4) (2).

2.1 तथापि, निम्नलिखित नियमों के संबंध में किसी अवहेलना से बचने के लिए, रेल कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी मंजूर नहीं की जानी चाहिए:-

(क) वेतन एवं भत्तों का हिसाब लगाने की तारीख.

(ख) कार्यालय बदल जाना.

(ग) छुट्टी की शुरूआत और समाप्ति तथा

...2..

(घ) ड्यूटी पर वापस लौटने

अथवा

ताकि नियम द्वारा स्वीकार्य अवधि के बाद छुट्टी की अवधि बढ़ाना.

(संदर्भ : नियम 236-स्थापना संहिता वाल्यूम-I/1985)

3. एक कैलेंडर वर्ष में रेलवे कर्मचारियों को कुल स्वीकार्य आकस्मिक छुट्टी निम्नानुसार होगी :-

1. (i)	12 दिन	सभी रेल कर्मचारियों को जो सभी सार्वजनिक छुट्टियां अथवा कारखाना संवेतन छुट्टियां पाने के पात्र हैं ।
(ii)	12 दिन	(क) कारखाना कर्मचारी (ख) कारखाना कर्मचारियों के अंतर्गत शामिल न होने वाले रेल कर्मचारी और मुद्रणालयों तथा भंडार डिपुओं के वे रेल कर्मचारी जिन्हें एक वर्ष में 15 दिनों की संवेतन छुट्टी मिलती है ।
(iii)	12 दिन	मंडल चिकित्सा अधिकारी तथा सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी ।
(iv)	12 दिन	कारखानों में प्रशिक्षणाधीन प्रशिक्षु मेकेनिक प्रशिक्षु खलासी, और कारखानों तथा मुद्रणालयों से संबद्ध अन्य प्रशिक्षु जो प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 द्वारा शासित नहीं होते हैं तथा जिन्हें एक वर्ष में 15 दिन की संवेतन छुट्टी मिलती है ।
(v)	12 दिन	प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 द्वारा शासित ट्रेड प्रशिक्षु जो उन स्थापनाओं में कार्य

		करते हैं जहां समुचित छुट्टी नियम मौजूद नहीं हैं अथवा कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की स्वीकार्य कुल छुट्टी एक वर्ष में 37 दिन से कम होती है । §संदर्भ : प्रशिक्षु नियम, 1962 का नियम§9§ §1§ §क§.
II.	15 दिन	ऐसे सभी रेल कर्मचारियों को जिन्हें उनके कार्य की प्रकृति के कारण सार्वजनिक छुट्टियां लेने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाती है अथवा कुछ ही सार्वजनिक छुट्टियां लेने की अनुमति दी जाती है ।
III.	15 दिन	कारखाना कर्मचारियों से भिन्न कारगर कर्मचारी बशर्ते वे आकस्मिक छुट्टियों को संवेतन छुट्टियों में परिवर्तित करने के सामूहिक विकल्प के अंतर्गत नहीं आते हों ।
IV.	15 दिन	नैमित्तिक श्रमिक जिन्होंने अस्थायी ओहदा प्राप्त कर लिया हो और जिन्हें नियमित लाइन कर्मचारियों की तरह 3 राष्ट्रीय छुट्टियां लेने की अनुमति है ।
V.	17 दिन §12 दिन सामान्य 5 दिन अतिरिक्त§	बोर्ड के 23.7.1984 के पत्र सं. ई§जी§83ए एल 12/8 के पैरा 2§ii§ में उल्लिखित पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर कार्यरत

रेल कर्मचारी.

(संदर्भ : बोर्ड का पत्र सं.
ई(जी)58 ए एल 1/1 दि0 15.2.58
पी सी/60/एलई 7/1 दि0 23.4.60
ई(जी)67 एल ई 1/7 दि0 22.11.67
ई(जी)70 एलई-1/5 दि0 18.2.72
ई(जी)70 एल ई-1/5 दि0 27.4.72
ई(जी)70 एलई-1/5 पार्ट दि0 22.6.73
ई(जी)83 ए एल 12/8 दि0 23.7.84).

4. आकस्मिक छुट्टी की अवधि के अंतर्गत पड़ने वाली सार्वजनिक छुट्टियां, बन्द, शनिवार, रविवार और साप्ताहिक अवकाश आकस्मिक छुट्टी के रूप में नहीं गिनी जाएगी और इसे आकस्मिक छुट्टी के पहले तथा/या बाद में जोड़ा जा सकता है । जब एक रेल कर्मचारी द्वारा प्रतिबंधित छुट्टी ली जाती है तो इस उद्देश्य से उसे सार्वजनिक छुट्टी के रूप में माना जाना चाहिए ।

(संदर्भ :- बोर्ड का पत्र सं. पी सी-60/एल ई-7/दि0 24.8.60).

5. आकस्मिक छुट्टी की समयावधि के दौरान होने वाली अथवा इसके पहले और पीछे जोड़ी जाने वाली सार्वजनिक छुट्टियों, बंद शनिवार, रविवार और साप्ताहिक छुट्टियों सहित आकस्मिक छुट्टी पर किसी समय अनुपस्थित रहने की कुल अवधि की कोई सीमा नहीं है ।

(संदर्भ : बोर्ड का पत्र सं. ई(जी)67 एल ई-1/5 दि0 5.8.67).

6. आवेदक की जरूरतों के अनुसार मध्याह्न भोजनावकाश के पहले अथवा बाद में आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी मंजूर की जा सकती है ।

6.1 एक रेल कर्मचारी जो दौरे पर रहने के दौरान आकस्मिक छुट्टी लेता है, वह छुट्टी की उस अवधि के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं है । यदि दौरे के समय आकस्मिक छुट्टी आधे दिन की है, तो रेल कर्मचारी

उस दिन के सामान्य दैनिक भत्ते का आधा भत्ता प्राप्त कर सकता है ।

§संदर्भ :- नियम 1617§2§ स्थापना संहिता खण्ड-1/1987§.

6.2 प्रत्येक बार विलंब से आने के लिए संबंधित रेलवे कर्मचारी के आकस्मिक छुट्टी खाते में आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी डेबिट की जानी चाहिए । आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने की सुविधा लागू करने से रेल कर्मचारियों को विलंब से कार्यालय आने अथवा कार्यालय से जल्दी जाने की प्रथा समाप्त हो गयी है । फिर भी, एक महीने में, दो बार एक घंटे तक के विलंब को सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ किया जा सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि विलंब से आने के अपरिहार्य कारण हैं जैसे परिवार में बीमारी, साइकिल पंचर हो जाना, बसों/गाड़ियों का विलंब से चलना आदि ।

§संदर्भ :- बोर्ड का पत्र सं. ई§जी§65 एल ई 2/29 दि0 6.11.65§.

6.3 कार्यालय बंद होने के समय से पहले बिना अनुमति के जल्दी चले जाने वाले कर्मचारियों के मामलों को विलंब से आने के रूप में माना जाना चाहिए और प्रत्येक बार जल्दी जाने के लिए संबंधित रेल कर्मचारियों के आकस्मिक छुट्टी खाते में आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी डेबिट की जानी चाहिए ।

§संदर्भ :- बोर्ड का पत्र सं. ई§जी§75 एल ई 1/17 दि0 17.10.75§.

6.4 आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी पूरे एक दिन या दिनों के साथ मंजूर की जा सकती है ।

§संदर्भ :- बोर्ड का पत्र सं. ई§जी§65 एल ई 2/29 दि0 6.11.65§.

6.5 रेलवे स्कूलों और कालेजों के शिक्षकों को भी आधे दिन का आकस्मिक अवकाश मंजूर करने की सुविधा स्वीकार्य है ।

§संदर्भ : बोर्ड का पत्र सं. ई§जी§87 एल ई 1/3 दि0 17.11.87§.

....6..

7. कार्य की पारियों पर निर्भर करते हुए कारखाना कर्मचारियों को शनिवार को भी आधे दिन अथवा पूरे दिन की आकस्मिक छुट्टी मंजूर की जा सकती है अर्थात् यदि शनिवार को काम की दो पारियां हो और अनुपस्थिति दोनों में से किसी एक पारी में हो तो आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी मंजूर की जा सकती है और यदि किसी शनिवार को काम की केवल एक ही पारी हो तो आकस्मिक छुट्टी पूरे दिन के लिए होनी चाहिए ।

{संदर्भ : बोर्ड का पत्र सं. ई{जी}72 एल ई-2/41 दि0 10.4.73}.

8. निम्नलिखित को छोड़कर, आकस्मिक छुट्टी किसी अन्य छुट्टी के साथ नहीं जोड़ी जा सकती {i} पर्यवेक्षी कर्मचारियों को छोड़कर ग्रुप "सी" और "डी" कर्मचारियों को रविवार और छुट्टियों के दिन कार्यालय आने की एवज में मंजूर की गई प्रतिपूरक आकस्मिक छुट्टी, {ii} बोर्ड के पत्र सं. ई{डब्ल्यू}80 डब्ल्यू ई6/2 दि0 5.1.83 में निर्धारित अनुबंध के अध्यधीन खेलकूद गतिविधियों/राष्ट्रीय महत्व की गतिविधियों और स्काउटिंग ड्यूटियों के लिए मंजूर की गयी विशेष आकस्मिक छुट्टी {iii} परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत बंध्याकरण, पुरुष नलबन्दी को फिर से जोड़ने आदि के लिए स्वीकृत विशेष आकस्मिक छुट्टी. आकस्मिक छुट्टी के बाद संगरोध छुट्टी लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है ।

{संदर्भ :- बोर्ड का पत्र सं. ई{डब्ल्यू}80 डब्ल्यू ई6/2 दि05.1.83, ई{डब्ल्यू}60 एस पी 1/26 दि0 30.1.61 और ई/78/ एच{एफ डब्ल्यू}9/5 दि0 11.6.81 और नियम 507-स्थापना संहिता वाल्यूम 1/1985}.

8.1 आकस्मिक छुट्टी को कार्यभार ग्रहण समय के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता है ।

{संदर्भ : बोर्ड का पत्र सं. ई{जी}79 जे टी1/1 दि0 21.2.80}.

8.2 स्कूली कर्मचारियों के लिए अनुमत छुट्टी के साथ भी आकस्मिक अवकाश को नहीं जोड़ा जा सकता है ।

{संदर्भ : बोर्ड का पत्र सं. ई55एल ई2/74/3 दि0 27.7.55}.

8.3 एक रेल कर्मचारी को, जिसने किसी कार्य दिवस को अपराह्न में आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी ली है और जो अप्रत्याशित बीमारी अथवा अन्य मजबूरियों के कारण अगले कार्य दिवस को ड्यूटी पर आने में असमर्थ है तथा उसके खाते में आकस्मिक छुट्टी जमा नहीं है तो, सामान्य नियम के अपवाद स्वरूप आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी को नियमित छुट्टी के साथ जोड़ने की अनुमति दी जाए । अन्य किसी भी परिस्थिति में वह सुविधा नहीं दी जा सकती है ।

(संदर्भ :- बोर्ड का पत्र सं. ई(जी)65 एल ई-2/ 29 दि0 25. 6. 66).

9. यदि कोई रेल कर्मचारी, जिसके खाते में आकस्मिक छुट्टी जमा नहीं है, पर्याप्त औचित्य के बिना विलम्ब से कार्यालय आता है और सक्षम प्राधिकारी विलंब से आने को माफ नहीं करना चाहता और साथ ही रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करने को भी तैयार नहीं है, तो रेल कर्मचारी को सूचित किया जाना चाहिए कि जिस दिन वह विलंब से कार्यालय आया था, उस दिन उसे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित माना जाएगा । यह रेल कर्मचारी के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह या तो अनधिकृत अनुपस्थिति के परिणामों का सामना करे अथवा उसको यथादेय नियमित छुट्टी के लिए आवेदन करें । तथापि, पी डब्ल्यू अधिनियम, 1936 और आई डी अधिनियम द्वारा शासित रेल कर्मचारियों पर ये निर्देश लागू नहीं हैं ।

(संदर्भ : बोर्ड का पत्र सं. ई(जी)82-एल ई-1/10 दि0 20. 9. 82 और 14. 3. 83).

10. वर्ष के मध्य में रेल सेवा में आने वाला उम्मीदवार पूरी आकस्मिक छुट्टी पाने का हकदार है । जबकि वर्ष के उत्तरार्द्ध में सेवा में आने वाले व्यक्तियों को पूरी आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, फिर भी आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी को ऐसी छुट्टी मंजूर करने से पहले सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए । उदाहरणार्थ ऐसे किसी कर्मचारी को 12/15/17 दिनों की आकस्मिक छुट्टी मंजूर करना

....8..

प्रशासनिक रूप से असंगत होगा जो दिसम्बर के मध्य में अर्थात् 16 दिसंबर को नौकरी में आया है ।

(संदर्भ : बोर्ड का पत्र सं. ई(जी)56 एल ई 2/91/3 दि0 5.10.56).

11. कैलेंडर वर्ष में न ली गई आकस्मिक छुट्टी वर्ष के अंत में अर्थात् 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी ।

12. महाप्रबंधक, यूनिटों के स्वतंत्र प्रभारी वरिष्ठ अधीनस्थों/पर्यवेक्षकों को उनके अधीन कार्यरत ग्रुप "सी" और "डी" के कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं ।

13. (i) इस मास्टर परिपत्र का हवाला देते समय उचित मूल्यांकन के लिए इसमें उल्लिखित मूल पत्रों को पढ़ा जाना चाहिए । मास्टर परिपत्र, मौजूदा अनुदेशों का केवल समेकन मात्र है और इसे मूल परिपत्रों के बदले में नहीं समझा जाना चाहिए । शंका के मामले में, प्राधिकार के रूप में मूल पत्रों पर भरोसा करना चाहिए ।

(ii) जब तक अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो तब तक संदर्भित मूल पत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेश उनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

(iii) यदि इस विषय पर कोई परिपत्र जिसका अधिक्रमण नहीं किया गया है, इस मास्टर परिपत्र को तैयार करने में भूलवश छूट गया हो तो कथित परिपत्र जो भूलवश छूट गया है, को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इसे वैध तथा लागू माना जाना चाहिए ।

14. जिन पत्रों के आधार पर यह समेकित मास्टर परिपत्र में तैयार किया गया है, उनकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

जगदीश चन्द्र
डेस्क अधिकारी, स्थापना,
रेलवे बोर्ड.

संलग्नक: मूल परिपत्रों की सं0
और ता0 सहित अनुबंध संलग्न.

अनुबंध

1. पत्र सं. ई§जी§58ए एल 1/1 दिनांक 15.2.58
2. पत्र सं. पी सी/60/एलई 7/1 दिनांक23.4.60
3. पत्र सं. पी सी/60/एलई 7/1 दिनांक24.8.60
4. पत्र सं. ई§जी§65 एलई 2/29 दिनांक6.11.65
5. पत्र सं. ई§जी§65 एलई 2/29 दिनांक25.6.66
6. पत्र सं. ई§जी§67 एलई 1/5 दिनांक 5.8.67
7. पत्र सं. ई§जी§70 एलई 1/5 दिनांक 18.2.72
8. पत्र सं. ई§जी§70 एलई 1/5 दिनांक 22.4.72
9. पत्र सं. ई§जी§72 एलई 2/41 दिनांक10.4.73
10. पत्र सं. ई§जी§70 एलई 1/5 पार्ट दि022.6.73
11. पत्र सं. ई§जी§82 एलई 1/10 दिनांक20.9.82
12. पत्र सं. ई§जी§83 ए एल।2/8 दिनांक 6.2.84
13. पत्र सं. ई§जी§83 ए एल।2/8 दिनांक20.2.84
14. पत्र सं. ई§जी§83 ए एल।2/8 दिनांक 23.7.84
15. पत्र सं. ई§डब्ल्यू§ 80 डब्ल्यू ई6/2 दिनांक 5.1.83
16. पत्र सं. ई§जी§56 एल ई 2/91/3 दिनांक 5.10.56
17. पत्र सं. ई§जी§75 एलई 1/1 दिनांक 17.10.75
18. पत्र सं. ई§जी§87 एलई1/3 दिनांक 17.11.87
19. पत्र सं. ई§55§ एलई 2/74/3 दिनांक 27.7.75
20. पत्र सं. ई§जी§67 एलई 1/7 दिनांक 22.11.67

....

GOVERNMENT OF INDIA /BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS /RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

SC No.1 to MC No.15

No.E(G)2001 LE1/7(Master Circular) dated 27/1/2002

The General Managers,
All Indian Railways & Production
Units as per Standard List.

Sub : Reduction in Casual Leave entitlement on the recommendation of the V[th] Pay Central Pay Commission-Amendment in the Master Circular No.15.

Attention is invited to instructions contained in Board's letter No.E(G)98 LE1/1 dated 20/2/98 on the above subject effecting reduction in the casual leave entitlement of Railway employees as per the recommendations of the Vth Central Pay Commission.

In accordance with the aforesaid instructions, the following amendments may be made in para 3 of Master Circular No.15.

			Existing	Amended
Para 3	(I)	(i)	12	8
		(ii)	12	8
		(iii)	12	8
		(iv)	12	8
		(v)	12	8
	(II)		15	11
	(III)		15	11
	(IV)		15	11
	(V)		17 (12 days normal 5 days extra)	13

Please acknowledge receipt.

(Ashok Bhandari)
Director Establishment(Gen.)

RBE No. 70/2004

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

रेल भवन, नई दिल्ली ११०००१, तिथि 31/3/04
Rail Bhavan, New Delhi-110001, dated

No.E(G)2003 LE1/3

The General Manager(P)s,
All Indian Railways and Production Units
(As per Standard List)

Sub : Casual Leave

Reference Board's letter No.E(G)98 LE1/1 dated 20/2/98 providing inter-alia that the entitlement of Casual Leave of certain category of Railway staff who were entitled to 15 days Casual Leave in a calendar year would stand reduced to 11 days w.e.f. 1/1/98.

Instructions were thereafter issued vide letter of same number dated 18/1/99, to the effect that the entitlement of Casual Leave of the aforesaid categories of Railway staff would stand reduced to 10 days. These instructions (i.e. dated 18/1/99) were ordered to be held in abeyance till further orders vide letter of the same number dated 28/1/99.

The matter has since been deliberated upon with the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training, and it has been decided to restore the instructions contained in Board's letter dated 18/1/99 ibid providing for grant of 10 days casual leave in a calendar year to the employees who were earlier entitled to 15 days casual leave, effective from the current calendar year.

Please acknowledge receipt.

(M.D.Pillai)
Joint Director/Estt.(Gen.)

No.E(G)2003 LE1/3 dated 31/3/2004

Copy forwarded to:

1. FA&CAO, All Indian Railways and Production Units.
2. Joint Director (Finance), RDSO, Lucknow.
3. General Secretary, IRCA, New Delhi.

(M.D.Pillai)
Joint Director/Estt.(Gen.)